

134 258

न्यायालय श्रीमान् राज्य प्रशासनिक सेवार्थ एवं राजस्व मंत्रालय, महोदय
राजस्व मंत्रालय, (म.प्र.)



विलोपित/बास रूपये

709
9-12-13

R-323-1114

Rs. 20/-

रामस्वरूप गुप्त तनय श्री छोटेलाल गुप्त उम्र 82 वर्ष पेशा खेती (बृद्धावस्था) ग्राम कोनिया, थाना व तहसील-रामपुर नैकिन, जिला-सीधी (म.प्र.) द्वारा मुक्तियारनामा आम भार रक्षक, पन्नालाल गुप्ता तनय श्री रामस्वरूप गुप्ता उम्र 45 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम कोनिया, थाना व तहसील-रामपुर नैकिन, वृत्त-हनुमानगढ़, जिला-सीधी (म.प्र.)निगरानीकर्ता निगरानी मिसलीनियस सह रेगुलर।

6315
9-12-13

विरुद्ध

प्रमोद लाल गुप्ता महोदय
9-12-13

म.प्र.शासन राजस्व विभाग रिक्वेन्सू मण्डल द्वारा अधिशाषित निर्देशयुक्त पदस्थ अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायव तहसीलदार वृत्त हनुमानगढ़ जो वर्तमान पदस्थ उपरान्त प्रकरण क्रमांक 03(अ) 05, वर्ष 2011-12 में निर्देशित दिनांक 30.09.2012 द्वारा जारी आदेश पुर्नवालोकर आदेश लागू किये जाने के उद्देश्य के कारण से।

1. फूलमती कुशवाहा पत्नी भैयालाल कुशवाहा उम्र जो कि करीबन 42 वर्ष पेशा गृहस्थ एवं वागवानी व्यापार, वर्तमान कार्यरत जिला सीधी में पता (अवाच्य) स्थायी पता ग्राम-कोनिया, थाना व तहसील-रामपुर नैकिन, वृत्त-हनुमानगढ़, जिला-सीधी (म.प्र.) नकशा तामील हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र जो कि धारा 173 एम.

अतिरिक्त
13/12/14

पी.एल.आर.सी. के आधीन से अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन-पत्र दायरकर्ता उक्त ग्राम कोनिया पटवारी डबका, रिमारी नं. 63 में उक्त ग्राम का नकशा आ.नं. 85/0.025 है 0.025 से 16 1/2 है. को पृथक् तरजीब करवाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया।
3. (1) रामरूप बानी एवं रामनाथ बानी दोनों का पिता श्री छोटेलाल बानी सा. कठार (उत्तरिया) तह. रामपुर जिला-सीधी कार्यलय ग्राम पंचायत क्षेत्र रिमारी. विकासखण्ड रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.)

में पदस्थ सहायक सचिव जो त्रिवेणीशंकर शुक्ला पिता श्री गिरजा प्रसाद शुक्ला उम्र करीबन 32 वर्ष पेशा सहायक सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र रिमारी में जो (15 अगस्त को ग्राम सभा में जानकारी मद्दे पायी गयी जो वर्तमान समयावधि पर ग्राम

क्रमशः....2


प्रमोद लाल गुप्ता

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R-323-II/14..... जिला..... सीधी.....

..... शमस्वरूप शाखा..... विरुद्ध..... शासन, पूरन इमारी वगैरे.....

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... पन्नालाल शास्त्री..... अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील..... शमपुर नैमिन (सीधी इमारी) के प्रकरण क्रमांक..... 03/31-5/2011-12..... में पारित आदेश दिनांक..... 30.09.13..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... सीधी..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... 29.03.19..... को कलेक्टर..... सीधी..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">  सदस्य </p>	<p>सूचित पन्नालाल 16/01/19</p>